kiran yadav
Assistant professor History
M.A. govt.P.G.college dhanapur chandauli
History(4thsemester)
Paper1st
आजादी के लिए भारत का संघर्ष(1920-1947)

नेहरू रिपोर्ट 1928

साइमन कमीशन भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए भारत आया था किंतु भारतीयों द्वारा उसका घोर विरोध प्रमुखता से इसलिए किया गया कि उसमें कोई भारतीय सदस्य ना था भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय सचिव लॉर्ड वर्कन एंड हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वह स्वयं अपने लिए ऐसा संविधान तैयार करें जो सर्वमान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 को मुंबई में हुआ जिसमें निर्णय किया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाए जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करें। इस समिति में कुल 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों के नाम थे अली इमाम, शोएब कुरैशी, यम. यस. अणे ,एम आर जयकर,, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, एन एम जोशी, एवं सुभाष चंद्र बोस। पंडित मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित निम्नलिखित थी-

1 भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य मिले और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेशो के समान ही हो ।इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और कार्यपालिका को विधान -मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

2 प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। रिपोर्ट में प्रांतों और केंद्र में संघीय आधार पर शक्तियों के बंटवारे की सिफारिश की गई ,परंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने की सिफारिश की गई।

3 मुसलमान संप्रदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए मुंबई प्रांत से सिंध को अलग किया गया तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के समान ही स्वीकार किया गया।

4 भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिससे इंग्लैंड की ' प्रिवी काउंसिल' में अपील भेजना बंद हो सके ।

5 केंद्रीय विधानमंडल का एक सदनात्मक ढांचा परिवर्तित कर भी द्विसदनात्मक सीनेट एवं 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' के रूप में होना चाहिए।

6 भारतीय रियासतों के विषय में इस रिपोर्ट में कहा गया कि सभी देशी रियासतें ,जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है केंद्र के अधीन हो।

। 7 भारत की कार्यकारिणी शक्ति इंग्लैंड के सम्राट के पास रहेगी जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में करेगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का भी प्रावधान किया गया।

8 भारतीय सेना के विषय में निर्णय के लिए एक प्रति रक्षा समिति बनाने की सिफारिश की गई ,जिसके सदस्य प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री,, प्रधान सेनापति, वायु सेना व जल सेना के सेनापति, दो सैनिक विशेषज्ञ तथा जनरल- स्टाफ के अध्यक्ष होने थे।

नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा तैयार की गई पहली पहली संवैधानिक इ स योजना थी। यह बहुत प्रगतिवादी थी और दूरदर्शिता एवं राजनीतिक कौशल का एक सुंदर उदाहरण। इस विशाल प्रलेख में प्रत्येक भारतीय समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से व्यापक रूप से विचार किया गया था। सर सफाद अहमद खान के अनुसार "नेहरू रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास थी अब तक जो भी इस प्रकार के प्रयास अन्य संगठनों द्वारा किए गए उनमें इसका अपना विशेष स्थान था इसने देश के समक्ष एक महान आदर्श उपस्थित किया था, जिसके स्थान की कभी पूर्ति नहीं हो सकती वस्तुतःवस्तुतःनेहरू रिपोर्ट भारत के आधुनिक संविधान का प्रारंभिक क्रम था वर्तमान भारतीय संविधान तथा नेहरू रिपोर्ट के उप बंधो में पर्याप्त समानता है। डॉक्टर जकारिया ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि" इस रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ना और अध्ययन करना चाहिए"।

इन विशेषताओं के बावजूद नेहरू रिपोर्ट के संबंध में विभिन्न भारतीय दलों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके सांप्रदायिक अनुबंध से कुछ सिख और हरिजन असंतुष्ट हुए। सिखों की मांग थी कि उन्हें अल्पसंख्यक समझकर स्थान- आरक्षण मिले। हरिजनों का कहना था कि उनके अधिकारों की उपेक्षा हुई है।मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दियाऔर जिन्ना ने इसके बदलेअपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की । कांग्रेसका तरुण वर्ग ,जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे इससे संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार ने भी नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रिपोर्ट काफी प्रगतिशील मानी जाती थी ।कांग्रेस में भी नेहरू-रिपोर्ट के संबंध में एकता नहीं थी परंतु गांधीजी के बीच बचाव करने से कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कांग्रेस के 1928 के कोलकाता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति मिल गई ,परंतु सरकार द्वारा इसकी नही स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह रिपोर्ट महत्वहीन बनी रही ।